

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० सुबोध कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर सेंट जेवियर स्कूल से धोबीटोला तक कराये गये कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन हेतु रु० 31.01 लाख (एकतीस लाख एक हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर सेंट जेवियर स्कूल से धोबीटोला तक कराये गये कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन हेतु रु० 31.01 लाख (एकतीस लाख एक हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. प्रस्तावित कार्य स्थल साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर सेंट जेवियर स्कूल से धोबीटोला के बीच अवस्थित है।
4. प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य कराया जायगा।
 - a) उक्त स्थल पर नाला वाले भाग में नाला के Slope में Typical C/S के अनुसार Slope pitching कार्य।
 - b) प्रस्तावित स्थल के D/S में एक अदद Crated toe के साथ Slope pitching का कार्य।
 - c) स्थल के अनुरूप एक अदद Anti flood sluice gate आवश्यक है, किन्तु क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा 300 mm dia HP gated A.F. sluice gate बनाने का कार्य।
5. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2014 के वर्षात के पूर्व तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
 - i. मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य एवं
 - ii. मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।

7. प्रस्तावित कार्य गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014-15 के प्रस्तावित बजट में उपबंध है।
10. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013- राँची, दिनांक 24.01.2014

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)